

Internal Quality Assurance Cell Government Post Graduate College, Obra, Sonebhadra

CAS Guidelines under UGC Regulation, 2018

UGC REGULATIONS ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION. 2018

No. F.1-2/2017(EC/PS).—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section(l) of Section 26 read with Section 14 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the "UGC Regulations on Minimum qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education 2010" (Regulation No.F.3-1/2009 dated 30th June, 2010) together with all amendments made therein from time to time, the University Grants Commission,

hereby, frames the following Regulations, namely:-

- 1. Short title, application and commencement:
- 1.1 These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for

Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for

the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018.

- 1.2 These shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every Institution including a Constituent or an affiliated College recognized by the Commission, in consultation with the University concerned under Clause (i) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and every Institution deemed to be a University under Section 3 of the said Act.
- 1.3 These shall come into force from the date of notification.
- 2. The Minimum Qualifications for appointment and other service conditions of University and College teachers, Librarians, and Directors of Physical Education and Sports as a measure for the maintenance of standards in higher education, shall be as provided in the Annexure to these Regulations.

3. If any University contravenes the provisions of these Regulations, the Commission after taking into consideration the cause, if any, shown by the University for such failure or contravention, may withhold from the University, the grants proposed to be made out of the Fund of the Commission.

The UGC Regulation, 2018

IQAC-Coordinator

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री सेवा अनुभाग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में.

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या

राजकीय स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालय

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-डिग्री सेवा/

5045 /2022-23

दिनांक २५/०6/2022

विषय:-कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू०जी०सी० के विमिन्न विनियमों के अन्तर्गत ए०जी०पी० के विभिन्न स्टेजों (अकादिमक स्तर) में प्रोन्नित वेतनमान/पदनाम प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या—367/सत्तर—5—2022—67(27)/2016 दिनांक 09 जून, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू०जी०सी० के विभिन्न विनियमों के अन्तर्गत ए०जी०पी० के विभिन्न स्टेजों (अकादिमक स्तर) में प्रोन्नित वेतनमान/पदनाम प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त पत्र के माध्यम से शासन द्वारा कैरियर एडवान्समेण्ट स्कीम के अन्तर्गत यू०जी०सी० विनियम, 2018 में निहित व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालयवार छानबीन मूल्यांकन समिति का गठन करके यू०जी०सी० विनियम, 2018 तथा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा निर्धारित अर्हता/मानक के साथ—साथ प्रत्येक शिक्षक के सेवा अभिलेख/सेवा सत्यापन/ए०जी०पी० हेतु प्रस्तावित शिक्षकों के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक जांच/अभियोजन/ प्रशासनाधिकरण की जांच एवं दंडों का भी उल्लेख करते हुये प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में आपके महाविद्यालय में कार्यरत असिस्टेन्ट प्रोफेसर, जिनको दिनांक 30.06.2022 तक एकेडिमिक लेवल—10 से लेवल—11, लेवल—11 से लेवल—12 एवं लेवल—12 से लेवल—13ए में प्रोन्नित प्रदान किया जाना है, ऐसे सभी प्रवक्ताओं का महाविद्यालय स्तर पर गठित छानबीन—सह—मूल्यांकन समिति/चयन सिमित की बैठक सम्पन्न होने के पश्चात सिमित द्वारा सुस्पष्ट रूप से संस्तुत/असंस्तुत किये गये असिस्टेन्ट प्रोफेसर की सूची एवं उनके कैरियर एडवान्समेंट आवेदन की 02 प्रमाणित प्रति समस्त संलग्नकों के साथ निर्धारित प्रारूप पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे महाविद्यालय में कार्यरत असिस्टेन्ट प्रोफेसर को एकेडिमिक लेवल—10 से लेवल—11, लेवल—11 से लेवल—12 एवं लेवल—12 से लेवल—13ए में प्रोन्नित प्रदान करने का प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सकें, साथ ही साथ आपको निर्देशित किया जाता है, कि महाविद्यालय प्रत्येक 06 माह (30 जून/31 दिसम्बर) में अर्ह शिक्षकों के आवेदन पत्र प्राप्त कर महाविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन 2018 विनियमों के तहत गठित छानबीन—सह—मूल्यांकन सिमित/चयन सिमित की बैठक सम्पन्न कराते हुये महाविद्यालय में कार्यरत असिस्टेन्ट प्रोफेसर को एकेडिमिक लेवल—10 से लेवल—11, लेवल—11 से लेवल—12 एवं लेवल—12 से लेवल—13ए में प्रोन्नित संबंधी संकितत प्रस्ताव इस कार्यालय को अभिलेखो की 02 प्रतियाँ एवं आवेदन पत्र की 01 हार्ड कॉपी के साथ संस्तुति सिहत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

डॉ०(के०सी०वर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०शी०) कृते–शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)

उ०प्र०, प्रयागराज।

पृ0सं0-डिग्री सेवा / S045 - S 227 /2022-23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डॉ०(के०सी०वर्मा) संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०शी०) कृते–शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा) उ०प्र०, प्रयागराज।

कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को ए०जी०पी० के विभिन्न स्टेजों (अकादिमक स्तरों)में प्रोन्नित वेतनमान/पदनाम की अनुमन्यता हेतु छानबीन–सह–मूल्यांकन/चयन समिति की संस्तुति										
(114) रूपये निम्न	यम 2018 (नारत क //2010 दिनांक 28. //7000/8000/ 90 लिखित छानबीन—सह	राजपः 26.2019, 00 (कमः —मूल्यांव	राजकीय महाविद्यालक त्र भाग 3 खण्ड 4 शासनादेश संख्या—1 शः अकादमिक स्तर— कन/चयन समिति यू	य रांख्या 271दिन। 1190 / सत्तर—1 11, 12 एवं 13ग १ऽजी०सी० नियम	में का iक 18.07. —2019—16 क) में प्रोन्न	र्यरत 2018) (114) ाति वेत मानव	सपिठत शासनादे / 2010 दिनांक नमान / पदनाम प्र जनुसार गठित की	विषय के प्राध्यापय श संख्या—600/स 15.10.2019,के परिप्रेश वान किये जाने पर गयी हैं:—	त्तर—1—2019—16 त्य में ए०जी० पी० विचार करने हेतु	
1.	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अ	धिकारी(केवल 13क में प्रोन्नित	अध्यक्ष छानबीन-सह-मूल्यांकन/चयन समिति						
1 - 1	01						सदस्य (कुलपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ) सदस्य (कुलपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ)			
3	(केवल 13क में प्रोन्न	ति हेतु)				सदस्य-निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा नामित सब्जेट नामिनी				
4	महाविद्यालय प्राचार्य					सदस्य, संयोजक				
समिवि	ते की बैठक दिनांक		को	के	कक्ष में स	म्पन्न ह	हुई जिसमें प्रो०/ड	STO	को छोडकर	
सभा	सदस्या न भाग लिय	11							***************************************	
सामा	ते निम्न प्राध्यापका	को यू०	जी०सी० नियमन–201	८ एवं उत्तर	प्रदेश शास	न के	मानकानुसार ए०ए	गि0आई० आधारित ग	२०जी०पी० रूपये	
र्म पो	78000 / 9000 क न्नति प्रदान किये ज	कमशः ५ चे की व	अकादमिक स्तर—11, गंग्यति कारी है।	12 एवं 13क म	। प्रान्नात व	तनमान	र एव पदनाम हेतु	उनके नाम के सम्	उख अंकित तिथि	
Ф 0			यालय का नाम	नियुक्ति	वरिष्ठ	-	चयन वेतनमान	200	[_:0	
सं0	नाम	Jenac	aici 4/1 11 1	तिथि	वेतनमान	ਘਾਰ	प्राप्त की तिथि	आवेदित ए०जी० पी०/ स्टेज		
				131.31	की तिथि		श्रारा का ताल	पदनाम	पी0 की अनुमन्य तिथि	
1									organa idia	
2										
3										
4										
5								1.		
समिति ने निम्नलिखित प्राध्यापकों को उनकी ए० पी० आई०/ अनिवार्य योग्ता/ रिफ्रेशर/ओरेन्टेशन कोर्स/ अन्य कारणों के आधार पर ए० जी० पी० 7000/8000/9000(कमशः अकादिमक स्तर—11, 12 एवं 13क) में प्रोन्नित प्रदान किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया और उनको प्रोन्नित प्रदान किये जाने की संस्तुति नहीं करती है। समिति ने ऐसे आवेदनों के संबंध में उनके नये आवेदन पत्रों के साथ अगली बैठक में विचार करने का निर्णय लिया है। समिति ने जिन कारणों से उनका प्रोन्नित वेतनमान संस्तुत नहीं किया है उनका उल्लेख प्राध्यापक के नाम के सम्मुख अंकित है:										
₩ ₩	प्राध्यापक का नाम		महाविद्यालय का नाम		40		ो० पी०	असंस्तुतित का कारण		
1										
2						_				
सदस	य छानबीन-सह-मूल	गंकन/च	वयन समिति :							
01	-									
02		4								
03										
सदस्य—संयोजक										
महावि	द्यालय प्राचार्य						क्षेत्रीय तच्च	शिक्षा अधिकारी		
							man week	THE SHARKS		

नम/ पदनाम 2 विषय w नहादिद्यालय का 긢 4 ग्रहण की तिथि कार्यभार U पी—एच.डी. एम.फिल. तिथि तिथि 6 कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन प्रपत्र (यू०जी०सी० विनियम 2018) 7 अर्हता अवधि सहायक प्रोफेसर (अकादमिक स्तर -10) से सहायक प्रोफेसर (अकादमिक स्तर -11/वरिष्ठ वेतनमान) œ अर्हता दिनांक 9 विवरण (कब से कब तक) मूल्यांकन अवधि में किये गये ओरियेन्टेशन कोर्स का 10 मूल्यांकन अवधि में रिफेसर कोर्स का (कब से विवरण कब तक) = क्रियाकलाप-1 शिक्षण संबंधी क्रियाकलापें / शोध (80 प्रतिशत से अधिक-अच्छा) (70 से 80 प्रतिशत-संतोषजनक) (70 प्रतिशत से कम-संतोषजनक नहीं) से 2 क्रियाकलाप नहीं—असंतोषजनक कोई 12 सत्र-13 सत्र-14 सत्र-15 सत्र-16 सत्र-17 सत्र– 18 सन्न-19 सन-20 सत्र-21 सत्र-22 सन्न-23 -EF 24 **-**kF 25 सन-समग्र ग्रेडिंग 26 सन-27 -EB 28 सन-29 अम्युवित

30

성 원

सदस्य-संयोजक

8 9

सदस्य छानबीन-सह-मृत्यांकन समिति :

प्राचार्य महाविद्यालय

의 핑 नाम/ पदनाम N 1000 6,0 महाविधालय 의 기 기 기 कार्यभार अहम्म की तिथि cn पी-एच.डी. तिथ कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन प्रपत्र (यू०जी०सी० विनियम 2018) Ø (म.फिल. तिथ सहायक प्रोफेसर (अकादिमक स्तर -11) से सहायक प्रोफेसर (अकादिमक स्तर -12/चयन वेतनमान) अर्हता अवधि अर्हता दिनांक œ 9 प्राप्त तिथि वेतनमान वरिष्ठ 10 विवरण (कब से कब तक) प्रथम रिफेसर कोर्स का मूल्याकन अवधि मे = का विवरण (कब से कब मूल्यांकन अवधि में द्वितीय रिफेसर कोर्स तक) 12 कियाकलाप-1 शिक्षण (80 प्रतिशत से अधिक-अच्छा, से 80 प्रतिशत-संतोषजनक, 13 सत्र– से 80 प्रतिशत-संतोषजनक, 70 प्रतिशत से कम-संतोषजनक नहीं) 14 सत्र-15 सत्र– 16 सत्र-17 सत्र– कियाकलापाँ में मागीदारी (3 या अधिक कियाकलाप-अच्छा, 1 से 2 कियाकलाप-संतोषजनक, कोई भी कियाकलाप-2 महाविद्यालय के छात्र संबंधी कियाकलापाँ/शोध 18 सन्न-कियाकलाप नहीं-असंतोषजनक) 19 सत्र-20 सत्र– 21 सत्र-22 सत्र-23 सत्र– 24 सत्र-समग्र ग्रेटिंग 25 सत्र-26 सत्र-27 सत्र– अम्युवित 28

सदस्य छानबीन-सह-मृत्यांकन समिति :

सदस्य-संयोजक

प्राचार्य महाविद्यालय

8 3

광 챙 नाम/ पदनाम 2 दिषय नहाविदालय का नाम 1 कार्यभार गृहण की तिथि en क्ष-(चा डो. सिंहे कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन प्रपत्र (यू०जी०सी० विनियम 2018) सहायक प्रोफेसर (अकादमिक स्तर –12) से सहायक प्रोफेसर (अकादमिक स्तर –13क) ch रम.फिल तिथ 4 अर्हता अवधि 3 अहंता देनांक 9 प्राप्त तिथि वेतनमान वरिष्ठ 10 प्राप्त तिथि वेतनमान चयन = मूत्यांकन अवधि में रिफेसर कोर्स / शार्ट टर्म कोर्स का विवरण (कब से कब तक) 12 किराकस्ताय-1 विक्राण (०० प्रतिशत से अधिक-अच्छा, ७० प्रतिशत से अधिक-संतोषजनक, ७० प्रतिशत से कम-संतोषजनक गर्छ) 13 सत्र-4 सत्र-15 सत्र-विध्याकसाय-३ गर्डातिसासम् के धात्र संक्ते विध्याकसायो / गोम विध्याकसायो ने मानीस्तरी या अतिक विध्याकसाय-अस्तरः । से 2 विध्याकसाय-संस्थितन्तरः कोई को विध्याकसाय-संस्थितनर्गको 6 सत्र-17 सत्र-18 सत्र-19 सत्र-समय ग्रेडिंग 20 सत्र-21 सत्र-शोध योगदान 22 विषय क्षेत्र का शान और शिक्षण 23 विशेषध्र आकलन साम्राटकार प्रदर्शन 24 25 라 라 참 참 26 अन्युवित 27

सदस्य ष्ठानबीन-सह-मूत्यांकन/चयन समिति : 01 02 03

सदस्य-संयोजक

प्राचार्य महाविद्यालय

REZR

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ता पुस्तकालयको ए०जी०पी० के विभिन्न स्टेजों (अकादिमक स्तरों)में											
प्रोन्नित वेतनमान / पदनाम की अनुमन्यता हेतु छानबीन-सह-मूल्यांकन / चयन समिति की संस्तुति											
राजकीय महाविद्यालय											
1. 8	नेत्रीय उच्च शिक्षा अ	धकारी(के	वल 13क में प्रोन्नति	अध्यक्ष छानबीन-सह-मूल्यांकन/चयन समिति							
2 (01 विश्वविद्यालय के पुरतकालय का पुरतकाध्यक्ष						सदस्य (कुलपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ)				
	02			सदस्य (कुलपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ)							
)3					सदस्य (कुलपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ)					
3 (केवल 13क में प्रोन्न	ते हेतु)		सदस्य-निर्देशक उच्च शिक्षा द्वारा नामित सब्जेट नामिनी							
4	महाविद्यालय प्राचार्य सदस्य, संयोजक										
समिति की बैठक दिनांक											
Ф0	प्रवक्ता	महाविद्य	ालय का नाम	नियुक्ति	वरिष्ट		चयन वेतनमान				
सं0	पुस्तकालयका			तिथि	वेतनमान		प्राप्त की तिथि	पी0 / स्टेज			
	नाम				की तिथि	ĭ		पदनाम	अनुमन्य तिथि		
1											
2											
3											
4											
5											
समिति ने निम्नलिखित प्रवक्ता पुस्तकालयको उनकी ए० पी० आई० / अनिवार्य योग्ता / रिफ्रेशर / ओरेन्टेशन कोर्स / अन्य कारणों के आघार पर ए० जी० पी० 7000 / 8000 / 9000 (कमशः अकादमिक स्तर—11, 12 एवं 13क) में प्रोन्नित प्रदान किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया और उनको प्रोन्नित प्रदान किये जाने की संस्तुति नहीं करती है। सिमिति ने ऐसे आवेदनों के संबंध में उनके नये आवेदन पत्रों के साथ अगली बैठक में विचार करने का निर्णय लिया है। सिमिति ने जिन कारणों से उनका प्रोन्नित वेतनमान संस्तुत नहीं किया है उनका उल्लेख प्रवक्ता पुस्तकालयके नाम के सम्मुख अंकित है:											
季 0	प्रवक्ता पुस्तकालयका				ए० जी० पी०		असंस्तुतित का कारण				
₹i0	नाम										
1											
2											
सद	स्य छानबीन-सह-मूर	याकन/	वयन समितिः								
01											
02											
03											
04											
सद	स्य–संयोजक							अध्यक्ष			
महाविद्यालय प्राचार्य						क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी					

270 750 नम/ पटनाम विषय महाविद्यालय का नाम कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता पुस्तकालय के प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन प्रपत्र (ग्रूजी०सी० विनियम 2018) सदस्य छानदीन-सह-मृत्याकन/वयन समिति : कार्यभार ग्रहण की तिथि की विश्व प्रवक्ता पुस्तकालय (अकादमिक स्तर –12) से प्रवक्ता पुस्तकालय (अकादमिक स्तर –13 क) त्म कित तिथे अहंता अयधि अहंता दिनांक वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त तिथि 10 चयन येतनमान प्राप्त तिथि = ी/ कार्यशाला का विवरण (कब से कब तक) प्रशिक्षण / संगोप्ट मूल्यांकन अवधि में रिफेसर कोस/ 12 ३० से ९० प्रतिशत-संतोषजनक ८ अतिशत से 13 सत्र... (90 प्रतिशत से अधिक-अच्छा, क्याकलाप-1 पुस्तकालय में उपस्थित होने की नियमितता 7 सत्र.... ü सत्र.... 14 सत्र. कियाकताप-2 पुस्तकालय कार्यकताप से संबंधित संगोधी / कार्यशाल 15 14 सत्र... सत्र... 15 सत्र... कियाकताप-3
महाविद्यातय
पुन्तकालय मे
कन्पपुरीकृत
बाराभेस
/ कैटलींग
बाराभेस
(१०० प्रतिशत
-अवश नहीं-असंतोषजनक) 16 सत्र... 15 16 सत्र... -अच्छा, । प्रतिशत से कम-संतोषधनक, । प्रतिशत से अधिक-असंतोषधनक सत्र.... क्रियाकलाप-4 वस्तुसूधी और खोई हुई पुस्तकों की जांच (0.5 प्रतिशत से कम 17 सत्र.... 16 सत्र... -अव्हाः । विध्यकताप-संतोपजनकः कोई भी विध्यकलाप नहीं-असंतोषजनक) 17 सत्र.... क्रियाकलाप-5 किन्हीं 2 क्याकलाप सत्र... 17 सत्र.... 18 सत्र..... 19 समय ग्रेडिंग सत्र.... 18 सत्र... योगदान (अधि—30 न्यू-15) 19 विशेषज्ञ आकलन (अधि–100 न्यू– 50) विषय क्षेत्र का झान और रिक्षण अन्यात (अधि-50 20 साक्षात्कार प्रदर्शन (अधि–50 न्यू– 25) B 8 다 N

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

SECTE

प्राचार्य महाविद्यालय सदस्य-संयोजक